फर्द अहकाम

बेंकेन्दार बनाम रामकिशन व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 10/2019

न्यायालय उपख...
मु.न. 10/2019
1. बंशी...

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/7/22	व. प्र. उप0/ मुन्तकिल ग्रा0 पंचा की रिपोर्ट पत्रांक 1956 दि0 29.6.22 से प्रेषित प्रस्तुत की गई है जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेशानुसार दिनांक 28/07/22 को पेश हो। SSA
	28/7/22	व. प्र. उप0/ पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेशानुसार दिनांक 03/08/22 को पेश हो। SSA
	3/8/22	पत्रावली पेश हुई मुन्तकिल ग्रा. पंचा खारीज होकर आई। व. प्र. उप0/ अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कौरुल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। SSA

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 10/2019

उनवान

1. बंशीधर पुत्र गोपीराम जाति मीणा, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

—अपीलार्थी—

बनाम

1. रामकिशन पुत्र स्व० महादेव
2. रामवतार पुत्र स्व० महादेव
   समस्तं जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत उदयपुरिया जरिये सरपंच ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स—

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश 25.10.78 सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया, तहसील चौमूँ बाबत नामान्तकरण संख्या 367 दिनांकित 25.1.78 ग्राम उदयपुरिया का अनुचित अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम तस्दीक करने।</u>

निर्णय दिनांक 03.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर साबिक खसरा नम्बर 900, 901 कुल किता 2 का कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1705 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.61 हैक्टेयर, 1706/1 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर सम्पूर्ण का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलार्थी भू राजस्व अभिलेखो में दर्ज चला आया हैं, अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजीयात को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.7.66 को तत्कालीन खातेदार महादेव पुत्र हुक्मा व कन्हैयालाल पुत्र रुंथा जाति मीणा निवासी ग्राम उदयपुरिया से क्रय कर खातेदार काश्तकार हैं, जिस भूमि को अलॉटमेन्ट द्वारा बांटे पर काश्त करने हेतु भिन्न—भिन्न व्यक्तियों को दी गई, जिसमें संवत् 2025 में उक्त आराजी को काश्त हेतु रेस्पोडेन्ट के पूर्वाहक अधिकारी स्व० महादेव को दी गई, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के पूर्वाधिकारी स्व० महादेव द्वारा उक्त आराजीयात का अवैध व फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर, पटवारी हल्का तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरिया से साजकर अनुचित व अवैध रूप से दिनांक 25—10—78 को अपने पुत्रों रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से नामान्तकरण संख्या 367 तस्दीक करवाकर उसका राजस्व अभिलेखों में अमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:43 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

दरामद करवा लिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैं:–

1. आदेश अधीन अपील तथ्यों रिकार्ड एवं न्यायशास्त्र के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं।
2. अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने वास्तविक स्थिति को समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी एवं कान्ट्रेरी टू लॉ अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं, जो निरस्तनीय हैं।
3. अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने हस्तगत नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान न कर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो की स्पष्ट रूप से अवहेलना की हैं, इसलिए आदेश निरस्तनीय हैं।
4. नामान्तकरण भरने से पूर्व न तो पटवारी हल्का ने विकय पत्र की जॉच की, न ही तहकीकात की तथाकथित जो दस्तावेज अधीनस्थ अदालत में प्रस्तुत हुआ वह फर्जी व कूटरचित दस्तावेज हैं, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के उल्लघंन में किसी दीगर को खड़ा करके कराया गया हैं, जिसके विरूद्ध भी सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन हैं। जिसकी कानून में कोई अहमियत भी नही हैं, जिस पर गौर न कर अधीनस्थ अदालत ने भंयकर कानूनी भूल की हैं।
5. अपीलाधीन आदेश के रिकार्ड के अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता हैं कि अपीलान्ट मीना जाति का सदस्य हैं, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता हैं तथा रेस्पोडेन्ट की जाति रैगर हैं, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं, अपीलान्ट उक्त भूमि का कानूनन धारा 42 आर.टी.एक्ट 1955 के उल्लघंन में हस्तान्तरण नही कर सकता हैं, न ही ऐसा करना सही हैं, जिस सम्वन्ध में सम्वन्धित भू–निरीक्षक द्वारा भी प्रशनगत नामान्तकरण पर रिपोर्ट भी की गई हैं, जिसके बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से कानून के विपरीत जाकर आदेश अधीन अपील पारित कर अमल दरामद गलत किया हैं, जो निरस्तनीय हैं।
6. अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण तस्दीक करने सम्बन्धी लेण्ड रेवन्यू रूल्स के अल्स 121 (4) की कतई पालना न कर अनुचित व अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं, जो निरस्तनीय हैं।
7. उक्त आराजी का अपीलान्ट खातेदार काबिज [illegible] है जिसके द्वारा कोई हस्तान्तरण पत्र रेस्पोडेन्ट [illegible] के हित में नहीं कराया नही ऐसा कानूनन हो सकता, न ही कानून में ऐसे कि[illegible] दस्तावेज की कोई अहमियत हैं, जिस ओर ध्यान न देकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ ग्राम पंचायत के सरपंच ने बिना कोरम की स्वीकृति के गलत रूप से किया हैं, जो निरस्तनीय हैं।
8. अपीलाधीन आदेश कानूनन आदेश की परिभाषा में न आने से निरस्तनीय हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

9. अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से साजकर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया हैं, अपीलान्ट प्रशनगत आराजीयात का खातेदार काश्तकार हैं, अपीलाधीन नामान्तकरण अनुचित व अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम तस्दीक किया गया हैं, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.78 बावत नामान्तकरण संख्या 367 ग्राम उदयपुरिया से अपीलान्ट के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ हैं तथा नामान्तकरण से व्यथित हैं जिसको सुना जाना प्रार्थनीय हैं।

10. अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने आदेश दिनांक 25–10–78 बावत नामान्तकरण संख्या 367 पारित करने से पूर्व किसी भी प्रकार से सूचना व सुनवाई का अवसर अपीलान्ट को प्रदान नही किया हैं, न ही नामान्तकरण अधीन अपील से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण भरने से पूर्व पटवारी हल्का ने कोई सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत से साजकर गलत रूप से, अवैध व कानून के विरूद्ध नामान्तकरण तस्दीक करवाया हैं, जिसका ज्ञान अपीलान्ट को पूर्व में नही था, न ही होने दिया, अपीलान्ट ने तथाकथित विकय पत्र दिनांकित 20.12.1972 के बावत एक सिविल वाद सिविल जज एवं न्यायिक मजि० चौमूँ, जिला जयपुर के यहां प्रस्तुत करने पर उक्त सिविल मुकदमा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उक्त जवाब के सम्बन्ध अपीलान्ट से चर्चा करने पर अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी करने बावत अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास दिनांक 6.6.2017 को गया व रिकार्ड के विषय में जानकारी चाही तो पटवारी हल्का ने अपीलान्ट की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तकरण दर्ज होना बताया व नकल मांगने पर जमाबन्दी की नकल देकर नामान्तकरण की नकल तहसील से लेने हेतु कहा, जिस पर अपीलान्ट दिनांक 7.6.2017 को अपने वकील श्री हीरालाल सैनी एड० से मुगालत व जानकारी करवाकर नामान्तकरण की नकल के लिये आवेदन किया जिस पर नकल दिनांक 8.6.2017 को दी गई, नकल मिलने पर अपीलाधीन आदेश, इससे पूर्व नामान्तकरण का ज्ञान अपीलान्ट को किसी भी स्त्रोत से नहीं था, अपीलाधीन आदेश जानकारी से अन्दर मयाद हैं, जो दो रूपये के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है, अपीलाधीन आदेश अवैध व क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर गलत रूप से पारित किया हैं, जिसको चेलेंज करने के लिये मयाद का बिन्दू बाधक भी नही हैं तथा मयाद माफी प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.78 बाबत नामान्तकरण संख्या 367 ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर को निरस्त किये जाने का आदेश फरमायें ।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने प्रारम्भिक आपत्ति एवं जवाब बाबत अपील अन्तर्गत धारा 76 एल0आर0एक्ट 1956 पेश कर निवेदन किया है कि अपील के प्रथम पैरा में की यह इबारत की ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के साबिक खसरा नम्बर 900, 901 कुल किता 2 का कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1705 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1706 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1706/1 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर सम्पूर्ण का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलार्थी भू राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आया हैं, अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजीयात को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28-7-66 को तत्कालीन खातेदार महादेव पुत्र हुक्मा व कन्हैयालाल पुत्र झॅथा, जाति मीणा, निवासी ग्राम उदयपुरिया से कय कर खातेदार काश्तकार हैं अपीलान्ट स्वंय साबित करें। उपरोक्त वर्णित भूमियों के दिनांक 20.12.1972 से मालिक काबिज स्वामी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील के प्रथम पैरा में वर्णित भूमि बेचान के बाद अपीलान्ट का प्रथम पैरा में वर्णित भूमियों बाबत कोई कब्जा काश्त हक अधिकार नही रहा व उक्त भूमियॉ रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त व खातेदारी में हैं। अपीलान्ट का कोई 21 स्वामित्व निहित नही है व विकय पत्र दिनांक 20.12.72 के बाद कोई हक अधिकार व स्वामित्व अपीलान्ट का प्रथम पैरा में वर्णित भूमियों बाबत नही रहा। अपीलान्ट की ओर से अपील के प्रथम पैरा में वर्णित यह तथ्य की विवादित आराजीयात को काश्त करने हेतु बांटे पर समय-समय पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को दी गई, अपीलान्ट स्वंय साबित करें, क्योकि अपीलान्ट ने अपने प्रथम पैरा में कहीं भी उल्लेखित नही किया की अपीलान्ट ने प्रथम पैरा में वर्णित भूमियों को किन-किन व्यक्तियों को बांटे पर दी व किस व्यक्ति को कब से कब तक दी। शेष इबारत गलत होने से अस्वीकार हैं। अपीलान्ट ने या अपीलान्ट की ओर से किसी ने भी महादेव को कभी भी प्रथम पैरा में वर्णित भूमियों को बंटायत पर नही दी, बल्कि महादेव रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 का पिता जरिये मालिक, स्वामी संरक्षक खरीद की दिनांक से उक्त भूमियों पर काबिज काश्त खातेदार था व बालिक होने पर स्पोडेन्टस् संख्या 1 व 2 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हैं व निरन्तर काश्त कर रहे हैं, 10-12 पेड़ लगा रखे हैं चारो तरफ तारबन्दी कर रखी है व उक्त प्रथम पैरा में वर्णित भूमियों के पास ही स्थित अन्य भूमि में स्थित चाह से अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाइनों के जरिये फसलो की पिलाई सिंचाई करते हैं व उत्पादन प्राप्त करते आ रहे हैं व लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। सन् 1972 के बाद प्रथम पैरा में वर्णित भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व व खुदकाश्त की कतई नही रही, ना ही ऐसा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। अपीलान्ट ने जानते हुये गलत तथ्य अपील में अंकित किये हैं व सही तथ्य छिपाये है, सही तथ्य विशेष विवरण में दर्ज हैं। अपीलान्ट ने उस दस्तावेज का उल्लेख नही किया, जिसे फर्जी, कुटरचित बताया गया है, जबकि नामान्तकरण [illegible] जिस आधार पर खुला उसका [illegible] खुला हैं।

[illegible] नामान्तकरण में है, जो स्व[illegible] विक्रय पत्र के आधार पर इन्द्राज नामान्तकरण अपीलान्ट द्वारा [illegible] के विरूद्ध नही हैं।

प्रशनगत नामान्तकरण अपीलान्ट द्वारा [illegible] कब्जा खोला गया जो कतई प्राकृतिक [illegible] मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर उप बाद जांच कब्जा खोला गया जो कतई प्राकृतिक न्याय...

प्रशनगत नामान्तकरण अपीलान्ट द्वारा स्वंय मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर तस्दीक करवाये गये विक्रय पत्र व मौके पर कब्जे काश्त की जांच के आधार पर खोला गया और अगर विक्रय पत्र अपीलान्ट के स्थान पर किसी दीगर व्यक्ति को खड़ा करके तस्दीक करवाया गया तो अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट्स के

882
उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण क्यों नहीं दर्ज करवाया इसका कोई कारण उल्लेखित नही किया गया, जहाँ तक सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही के विचाराधीन होने का प्रशन है तो यह सही है कि अपीलान्ट ने विक्रय पत्र दिनांकित 20.12.72 को चुनौती दे रखी है, जिस वाद में पक्षकारो के अधिकार तय होंगे की विक्रय पत्र फर्जी, कूटरचित है या स्वंय अपीलान्ट ने तस्दीक करवाया, यहीं तक की अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का मय अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक चौमू में पेश किया, जिसमें से वाद अभी लम्बित हैं व टी.आई. प्रार्थना पत्र पर वाद के अन्तिम निर्णय तक उक्त नामान्तकरण से सम्बन्धित भूमियों बाबत यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रभावी है, जिन तथ्यों को अपीलान्ट ने छिपाया है एवं उक्त टी.आई. में पारित आदेश के विपरीत आदेश श्रीमान् को मुगालते में रखकर पारित करवाना चाहते हैं। जबकि विधि का स्पष्ट सिद्वान्त है की जहाँ कोई वाद पक्षकारो के अधिकारों बाबत विचाराधीन हो वहाँ समरी कार्यवाहियों में कोई आदेश पारित नही किया जाना चाहियें। यह कि अपील का मद नम्बर 5 जिस प्रकार व जिस अनुक्रम में लिखा गया है, गलत होने से अस्वीकार हैं, जो तथ्य मद नम्बर 5 में अंकित किये गये है वे बाद साक्ष्य ही सक्षम न्यायालयों में लम्बित वादो में तय हो सकते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से विधि से सम्बन्धित प्रशन है, जो कि अपील में तय नहीं किये जा सकते हैं।

ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किया हैं। अपीलान्ट कतई नामान्तकरणस संख्या 367 से सम्बन्धित भूमियों का खातेदार काबिज काश्तकार नही हैं। विक्रय पत्र दिनांकित 20.12.72 स्वंय अपीलान्ट ने मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर तस्दीक करवाया हैं, जिसे अपीलान्ट ने प्रशनगत करते हुये नियमित वाद सक्षम न्यायालय में पेश कर रखे है, जिनके लम्बित रहते हस्तगत अपील में कोई आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नही हैं।

नामान्तकरण संख्या 367 अपीलान्ट द्वारा तस्दीक करवाये गये विकय पत्र के आधार पर बाद जांच कब्जा खोला गया। जहा तक रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 से साज करने का प्रशन है तो नामान्तकरण संख्या 367 के समय रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 नाबालिक थे, साज करने का प्रशन ही नही हैं। अपीलान्ट ने कहीं रेस्पोडेन्ट्स के पिता द्वारा साज करना अंकित किया है, कहीं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जो कि गलत हैं।

अपीलान्ट ने विना किसी आधार के तथ्यो को बार–बार दोहराते हुये अपील गलत आधारो पर पेश की है, अपीलान्ट ने मद नम्बर 11 में सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद का जवाब रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत करने के बाद चर्चा करने पर नामान्तकरण बाबत जानकारी होने के तथ्य अंकित करते हुये नामान्तकरण की जानकारी होना अंकित किया, जबकि राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत वाद में दिनांक 2–3–16 को ही विक्रय पत्र एवं लगान की रसीदे पेश कर उक्त वावत अवगत करवा दिया था, जिन तथ्यों को छिपाकर अपीलान्ट ने गलत रूप से नियमित वाद लम्वित होते हुये अपील पेश की है, जो खारिज योग्य हैं।

882

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

अपीलान्ट ने हस्तगत अपील नामान्तकरण संख्या 367 ग्राम उदयपुरिया तहसील चौयूँ को इस आधार पर चुनौती देते हुये प्रस्तुत की है [illegible] पत्र दिनांकित 20.12.1972 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता महादेव ने किसी [illegible] व्यक्ति को अपीलान्ट के स्थान पर खड़ा करके अपीलान्ट की सहमति व जानकारी के बिना विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक करवाया, जिसके आधार पर प्रशनगत नामान्तकरण अपीलान्ट को सूचना दिये बिना, विना सुने विधि विरूद्ध रूप से खोला गया। जिस सम्बन्ध में स्पष्ट करना आवश्यक है की अपीलान्ट ने विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1972 को निरस्त किये जाने बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में वाद, वाद संख्या 81/16 प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें दिनांक 22.12.2016 को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा स्वंय के विधिक व तथ्य सम्बन्धी आधारों पर जवाब दावा पेश किया गया। उक्त वाद में अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक चौमू

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला जयपुर के समक्ष स्वंय द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 2.3.16 को विक्रय पत्र की फोटो प्रति रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत करने पर विक्रय पत्र की जानकारी होना अंकित किया, जबकि हस्तगत अपील में उक्त सिविल वाद मु0नं0 81/16 में रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब से जानकारी प्राप्त होना, रिकार्ड प्राप्त करना बातया जो स्पष्ट करता है की अपीलान्ट ने विरोधाभाषी व मिथ्या तथ्य उक्त विक्रय पत्र, नामान्तकरण एवं उस सम्बन्ध में जानकारी बाबत अंकित किये हैं, जो स्पष्ट करते है की अपीलान्ट ने ही विक्रय पत्र तस्दीक करवाया एवं नामान्तकरण खुलवाया, जिसके करीब 40–45 वर्षो बाद मियाद बाहर हस्तगत अपील पेश की है, उक्त सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है की जहाँ किसी हित बाबत किसी कार्य व अस्तित्व में आये दस्तावेज की जानकारी किसी व्यक्ति को हो तो वह उसे मियाद अवधि में ही प्रशनगत कर सकता है, जो कि उक्त तथ्य साक्ष्य से ही सक्षम न्यायालय द्वारा वाद में ही बाद साक्ष्य तय किया जा सकता है और वाद सक्षम न्यायालये में लम्बित है, जिस कारण अपील खारिज योग्य हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है की जब अपीलान्ट ने स्वंय विक्रय पत्र तस्दीक करवाया, जिससे अपीलान्ट इंकार करता है जो तथ्य भी साक्ष्य का विषय है, जिसके साक्ष्य द्वारा साबित हो जाने पर क्या अपीलान्ट को कोई हक अधिकार अपील में वर्णित भूमियों बाबत प्राप्त होगे या उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित होगी यह तथ्य भी साक्ष्य का विषय है, अपील में उक्त तथ्यों बाबत निर्णय नही किया जा सकता है। जिस कारण भी अपील खारिज योग्य हैं।

अतः प्रारम्भिक आपत्ति मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील को उक्त आधारो पर खारिज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रशनगत नामान्तकरण संख्या 367 दिनांक 25.10.78 को दर्ज करने पर पटवार हल्का द्वारा दर्ज उपरान्त गिरदावर हल्का द्वारा नामान्तकरण अवैध माना जाकर अपील में भेजा जाने की टिप्पणी अंकित की गई है न ही उक्त विक्रय पत्र अपीलान्ट के द्वारा करवाया गया है। हस्तगत नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा न ही तहकीकात की तथाकथित दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के उल्लघंन में किसी दीगर व्यक्ति को खडा करके करवाया गया है। नामान्तकरण तस्दीक करते समय लैण्ड रेवेन्यु रूल्स के अल्स 121(4) की कतई पालना न कर अनुचित व अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट की स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमानें की कृपा करे। साथ में अधिवक्ता अपीलान्ट के द्वारा न्यायीक दृष्टान्त RRD 1992 रामकुंवार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एंव राज्य सरकार का परिपत्र वित्तकर विभाग का आदेश दिनांक 03.12.2021 पेश किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स को बार बार लिखित बहस पेश करने हेतु समय दिया गया। उसके बावजूद भी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने न ही लिखित बहस पेश की न ही मौखिक बहस कर कथन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पृष्ठांकन ... गया। बहस पर मनन किया गया। हस्तगत अपील में न्यायालय को यह ... विवादित भूमि अभिलिखित खातेदार काश्तकार की जाति मीणा के नाम अंकित रही है तथा रेस्पोडेन्ट्स 1 व 2 के द्वारा जरिये विक्रय पत्र करना बताया गया है। अपीलान्ट की जाति मीणा अनुसुचित जनजाति के अन्तर्गत आती है तथा रेस्पोडेन्ट्स रैगर जाति का व्यक्ति है। जो अनुसुचित जाति के अन्तर्गत आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी धारा 46 (क) तथा धारा 49 (क) के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपने सें भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष में अपनी कृषि भूमि के विक्रय, वसीयत, दान करने पट्टटे या उष

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested

882
उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

र पट्टे देने तथा विनिमय करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत न्यायीक दृष्टान्त RRD 1992 रामकुंवार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एंव राज्य सरकार एंव राज्य सरकार का परिपत्र वित्तकर विभाग का आदेश दिनांक 03.12.2021 पूर्ण रूप से हस्तगत प्रकरण में चस्पा होते है3। जिससे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 367 दिनांक 25.10.1978 वाके ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 367 दिनांक 25.10.1978 निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इस आधार पर किए गए समस्त पश्चातवर्ती अंकन शून्य व बेअसर घोषित किए जाते है। इस आशय का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। तदनुसार पालना हेतु तहसीलदार तहसील चौमू को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा खेतान
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
चौमू, जिला-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:48 IST
Reason: SelfAttested